8.1 एस0जी0आर0वाई0/एन0एफ0एफ0डब्ल्यु0पी0 की अव्ययित शेष तथा अप्रयुक्त अनाज की कीमत जिसे मनरेगा के खाते में अंतरित नहीं किया गया

एस0जी0आर0वाई0 तथा एन0एफ0एफ0डब्ल्यु0पी0 योजनाओं के बंद किये जाने के पश्चात उन योजनाओं की शेष राशि को मनरेगा के खातों में (31.08.2007) को या उससे पहले तक, अंतरण, सरकार के अगस्त 2007 के पत्र के निर्देषानुसार किया जाना था। आगे, कच्चा कार्यों को मनरेगा योजना में शामिल करना था और अपूर्ण पक्का कार्यों के लिए अलग से निधि की मांग करनी थी।

अभिलेखों की संविक्षा से पता चला कि 12 जिलों[24] में एस0जी0आर0वाई0 तथा एन0एफ0एफ0डब्ल्यु0पी0 की ₹ 21.48 करोड़ की अव्ययित राशि को मनरेगा के खातों में अंतरण नहीं किया गया और एस0जी0आर0वाई0 के 1127 अपूर्ण पक्का कार्य अपूर्ण ही रहे। इन कार्यों के सफल पूर्णता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। (**परिशिष्ट - LV**)आगे, 14 जिलों[25] के 3830 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास ₹ 83.14 करोड़ रूपये मूल्य का अनाज अप्रयुक्त रह गया। ₹ 83.14 करोड़ की वसूली के विरूद्ध केवल ₹ 5. 79 करोड़ की वसूली हुई और शेष ₹ 77.36 करोड़ की राशि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास ही रह गयी (**परिशिष्ट - LVI**)। इस तरह रू 77.36 करोड़ की राशि का अंतरण मनरेगा के खातों में नहीं हो पाया।

आगे, औरंगाबाद जिला में 2005–06 में ₹ 1.52 करोड़ की राशि एस0जी0आर0वाई0 के अनाज के रख–रखाव के लिए केन्द्र के हिस्से से प्राप्त हुई थीं इसमें से ₹ 0.50 करोड़ रूपये का भुगतान जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को किया गया और ₹ 1.02 करोड़ की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खाते में अप्रयुक्त पड़ी रह गयीं इस तरह सरकार की अनाज को मजदूरी के एक घटक के रूप में उपयोग करने की योजना पूरी नहीं हुई और खातों में अनंतरित राशि के कारण ₹ 66.63 लाख श्रम दिन कम सृजन हुआ।

राज्य सरकार ने जवाब दिया कि एस0जी0आर0वाई0 के अप्रयुक्त अनाज एवं इसकी राशि के मनरेगा के खातों में अंतरण के लिए निर्देश जारी किया जा चुका था जबकि जिला के अधिकारियों ने बताया था कि 125 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के खिलाफ प्रथम जांच रपट किया जा चुका है तथा 721 दोषी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के खिलाफ प्रमाण पत्र मुकदमा किया जा चुका है।

8.2 विशिष्ट अनुदान का विचलन

सरकार के मार्च 2008 के पत्र के निर्देषानुसार, पक्का कार्यों के लिए अनुदान राशि का उपयोग एस0जी0आर0वाई0 के पक्का कार्यों में ही किया जाना था और शेष राशि यदि कोई हो तो उसे अनिवार्य रूप से सरकार को वापस किया जाना था। संवीक्षा से पता चला कि 8 जिलों को ₹ 10.47 करोड़ का

[24] अररिया,बेगूसराय,भभुआ, भोजपूर,दरंभगा,जहानाबाद,मधुबनी,मुँगेर,मुजफरपुर,नालंदा,सीतामढी एवं प0 चम्पारण
[25] भभुआ के अलावा सभी जाँचित जिले

विशिष्ट अनुदान प्राप्त हुआ था। इसमें से ₹ 2.41 करोड़ का विचलन चार जिलों[26] के मनरेगा कार्य हेतु कर दिया गया और ₹ 3.29 करोड़ शेष चार जिलों[27] में अप्रयुक्त रह गयी। इन चार जिलों से यह जवाब मिला कि राषि का विचलन मनरेगा में किया गया क्योंकि पुराने प्राक्कलन पर कार्य संभव नहीं था।

अपूर्ण कार्यों के सही ढंग से अनुवीक्षण न होने के कारण एस0जी0आर0वाई0 के 1127 अपूर्ण कार्य पूर्ण न हो सके तथा योजना के वांछित लाभ (टिकाउ परिसंपत्तियों का बनाया जाना तथा लाभार्थी अनुदान) से वंचित रह गये। (**परिशिष्ट -LVII**)

[26] अररिया, बेगुसराय, भोजपुर एवं मधुबनी
[27] दरभंगा, मुंगेर, नालन्दा एवं पश्चिम चम्पारण